



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03072020-220350  
CG-DL-E-03072020-220350

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1941]  
No. 1941]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 03, 2020/आषाढ 12, 1942  
NEW DELHI, FRIDAY, JULY 03, 2020/ASADHA 12, 1942

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 2020

का. आ. 2195(अ)—केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के तत्कालीन, पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1533 (अ) तारीख 14 सितम्बर, 2006 के अनुसरण में, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप खण्ड (ii) में का. आ. 2031 (अ) तारीख 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना में, पैरा 2 के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“ 2 क पैरा 2 में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्राधिकरण गुजरात के अध्यक्ष और सदस्य, 27 दिसम्बर, 2020 की अवधि के लिए या नया प्राधिकरण, गुजरात का गठन करने तक इसमें जो भी पूर्वतर हो, पदधारण करेंगे। ”

[फा. सं. जे-11013/23/2007.आईए- II(I) खण्ड]  
अरविंद नौटियाल, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप खण्ड (ii) में का.आ. 2031 (अ) तारीख 28 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।

**MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE****NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd July, 2020

**S.O. 2195(E)**—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 2031(E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, after paragraph 2, the following paragraph shall be inserted, namely: -

“2 A Notwithstanding anything contained in paragraph 2, the Chairman and Members of the Authority, Gujarat shall hold office for a term up to the 27th December, 2020 or till the constitution of new Authority, Gujarat, whichever is earlier.”.

[F. No. J-11013/23/2007-IA.II(I) Pt.]

ARVIND NAUTIYAL, Jt. Secy.

**Note:-** The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), *vide* number S.O. 2031 (E), dated the 28th June, 2017.